बिहार सरकार
समाहरणालय, मुंगेर
मुंगेर-811201
(स्थापना शाखा)

दूरभाष सं0- 06344-222401(आ0)
06344-221002
06344-222402 (का0)
फैक्स सं0- 06344-222254

आदेश

श्री दिनेश कुमार पासवान, सेवानिवृत उ0व0लिपिक, जिला भू- अर्जन कार्यालय, मुंगेर तत्कालीन प्रधान सहायक, प्रखंड कार्यालय, बरियारपुर, मुंगेर के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, मुंगेर के पत्रांक-24/गो0, दिनांक-23.02.2016 के द्वारा उनके पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास मद की राशि 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपये मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियारपुर बाजार पैक्स, बरियारपुर में रखने संबंधी कोई भी नकरात्मक टिप्पणी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर को नहीं दिये जाने के कारण अनुमोदित आरोप प्रपत्र-क-गठन कर प्राप्त कराया गया।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उप विकास आयुक्त मुंगेर के पत्रांक-20/गो0, दिनांक-15.02.2016 के द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर को नामित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर के पत्रांक-1651, दिनांक-30.10.2019 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर अपना प्रतिवेदन-सह-मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित है कि प्रपत्र-'क' में लगाया गया आरोप सत्य है। श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र प्रपत्र-'क', उपस्थापन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समेकित विवरणी निम्नवत हैः-

आरोपः-

श्री दिनेश पासवान तत्कालीन प्रधान लिपिक बरियारपुर प्रखण्ड, जो दिनांक-30.11.2013 को जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर से सेवानिवृत हो चुके हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा बरियारपुर बाजार पैक्स कोपरेटिव बैंक लि0, बरियारपुर के खाता संख्या-CA-01 में मो0 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपया रखने संबंधी इनके द्वारा कोई भी नकारात्मक टिप्पणी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बरियारपुर को नहीं दी गयी। प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल का दायित्व होता है कि सरकारी राशि किस प्रकार खर्च किया जाए या राशि कहॉ रखा जा रहा है इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को अवगत कराना चाहिए था जैसा कि उन्होंने नहीं किया। अतः सरकारी राशि के गबन में इनकी भी संलिप्तता बनती है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः-

उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्र0वि0 पदाधिकारी, बरियारपुर के ज्ञापांक-122, दिनांक-21.01.2019 के द्वारा मंतव्य दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के बचत खाता संख्या-12355 से चेक संख्या-171110 दिनांक-15.06.2005 के द्वारा कुल-10,00,000.00 (दस लाख) रूपये जमुई सेन्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंगेर को भुगतान किया गया चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड प्रमुख का हस्ताक्षर से निर्गत है। बरियारपुर बाजार पैक्स कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरियारपुर के खाता संख्या CA-01 में राशि 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपये मात्र रखा गया। राशि वापसी हेतु चेक शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से काटा गया, जो चेक बोन्स हो गया। तत्कालीन नाजीर का स्थानान्तरण जिला विकास शाखा, मुंगेर में होने के कारण जिला विकास शाखा में योगदान कर लिया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-1347, दिनांक-13.10.2017 के आलोक में प्रशासक वंशीपुर पैक्स द्वारा मो0-571706.00(पॉच लाख एकहत्तर हजार सात सौ छः रूपये) चेक के माध्यम से वापस किया गया किन्तु कुल-438709.79 (चार लाख अडतीस हजार सात सौ नौ रूपये उनासी पैसा) वापस नहीं किया गया । अवशेष राशि प्रखण्ड नजारत में वापस नहीं होने के कारण श्री पासवान के दोषी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है ।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः-

श्री दिनेश पासवान (से0नि0) तत्कालीन प्रधान लिपिक, बरियारपुर को नोटिस निर्गत होने के बाद भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि श्री दिनेश पासवान(से0नि0) तत्कालीन प्रधान लिपिक, बरियारपुर को अपने ऊपर लगाये गये आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री पासवान पर गठित प्रपत्र-'क' एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकारी राशि मो0 4,38,709.79 (चार लाख अड़तीस हजार सात सौ नौ रूपया उनासी पैसे) अभी भी प्रखंड नजारत में वापस नहीं हुआ है। श्री पासवान वर्त्तमान में सेवानिवृत है। कार्यालय प्रधान तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को राशि राष्ट्रीकृत बैंक से पैक्स में हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए थी। श्री पासवान को सरकारी आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया जाना चाहिए था। अतः श्री पासवान पर प्रपत्र-'क' में लगाया गया आरोप सत्य है।

इसी मामले में कालान्तर में जमा राशि की वसुली नहीं हो सकी, जिसके लिए पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा निलाम पत्र वाद संख्या-64/13-14 भी दायर किया गया। इस प्रकार इन्दिरा आवास की राशि को नियम के विरूद्ध राष्ट्रीयकृत बैंक से इतर पैक्स में रखे जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई। यह भी पाया गया कि आरोप का विषय वर्ष 2005-2006 का है और आरोपित कर्मी दिनांक-30.11.2013 को सेवानिवृत हो चुके है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत प्रक्रिया कालबाधित है क्योंकि आरोप 04 वर्ष से अधिक पुराना है। चूँकि आरोपित कर्मी के विरूद्ध कदाचार के पर्याप्त सबूत है, इसलिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक-109/स्था0, दिनांक-05.02.2020 के द्वारा श्री पासवान से **द्वितीय कारण पृच्छा** की माँग की गई।

श्री पासवान के द्वारा **द्वितीय कारण पृच्छा** का जबाव दिनांक-17.03.2020 को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि बरियारपुर बाजार पैक्स कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, बरियारपुर के खाता संख्या CA-01 में राशि 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपये मात्र रखे जाने के क्रम में कहना है कि निवर्तमान प्रखण्ड नाजीर श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत एवं निवर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा मेरे जानकारी में दिये बगैर वर्ष 2005 में इन्दिरा आवास की राशि भारतीय स्टेट बैंक रामपुरकला में जमा राशि में से मो0 राशि 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपये मात्र रूपये चेक के द्वारा बरियारपुर बाजार पैक्स कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड बरियारपुर के खाता संख्या- CA-01 में जमा कर दिया गया । इस संबंध में जानकारी होने पर निवर्तमान प्र0वि0पदाधिकारी को मेरे द्वारा कहा गया कि सरकारी राशि को सरकारी बैंक में रखने का प्रावधान है तो इस पर प्र0वि0पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि इस कार्यालय के पदाधिकारी हम है । हम किसी भी बैंक में सरकारी राशि रख सकते है। उक्त राशि पैक्स कॉपरेटिव बैंक में रखने में मेरी संल्लिप्ता नहीं है एवं आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। आरोपी के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है ।

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ग) का प्रावधान है कि :-

"यदि समाधान हो जाय कि संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार के सबूत है। परन्तु शक्ति का प्रयोग संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान कर समुचित विचार करते हुए ही की जा सकती है।" श्री पासवान को समुचित अवसर दिया गया। गबन का आरोप प्रमाणित है । श्री पासवान का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी का है। इसी मामले से संबंधित श्री सुरेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-8227, दिनांक-06.07.2017 द्वारा दोषी पाये गये हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री दिनेश कुमार पासवान, सेवानिवृत उ0व0लिपिक, जिला भू- अर्जन कार्यालय, मुंगेर तत्कालीन प्रधान सहायक, प्रखंड कार्यालय, बरियारपुर, मुंगेर के पेंशन से निम्न रूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता है-

"पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षों तक "

उक्त आदेश का अनुमोदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त होने के पश्चात संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पेंशन कटौती का प्रस्ताव महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेंगे तथा महालेखाकार के स्वीकृति के पश्चात पेंशन की कटौती प्रभावी होगी।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक :-523 /स्था0, दिनांक :-26/08/20

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/ निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/ कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- श्री दिनेश कुमार पासवान, सेवानिवृत उ0व0लिपिक, जिला भू- अर्जन कार्यालय, मुंगेर तत्कालीन प्रधान सहायक, प्रखंड कार्यालय, बरियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

26/08/20
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।